न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 47/2015 जिला टोंक

1. उद्दालाल
2. मोजीराम
3. भौजाराम

समस्त पिसरान स्व0 छीतर जाति गूर्जर निवासी पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

—अपीलांटस

बनाम्

तहसीलदार पीपलूं

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामातंरण संख्या 1093 दिनांक 14.05.1991 तहसीलदार टोंक ग्राम पीपलूं।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री जे0के0जैन(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपलूं के खसरा नम्बर 2369/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 2391 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम पीपलूं में अपीलांटगण के पिता छित्तर पिता नाथू गुर्जर ने उस समय खातेदार मुरली पुत्र मांगीलाल गुर्जर पीपलूं से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1984 को एवं दिनांक 13.06.1973 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। परंतु उक्त दोनो भूमियों को अपीलाधीन नामातंरण संख्या 1093 के आधार पर सिवायचक अंकित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. विवादित भूमियों पर छित्तर पुत्र नाथू का कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा था। उसके देहावसान के बाद अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा था।

2. खसरा नम्बर 2369/1 का रिकोर्डेड खातेदार छित्तर था। मगर एक प्रकरण सरकार बनाम मुरली में एस0डी0ओ0 टोंक के यहां उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है और उन्हें बिना सुने दिनांक 26.09.1990 को निर्णय कर दिया गया। जिसकी पालना में छित्तर की खातेदारी भूमि को सिवायचक अंकित कर दिया। उक्त नामातंरण व निर्णय आरम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। क्योकिं उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपील स्वीकार की जायें। नामातंरण संख्या 1093 दिनांक 14.05.1991 को निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कियागया है।

धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कहा है कि उनकी भूमि पर कब्जाकाश्त है। परंतु कुछ दिनों पूर्व रेस्पोडेंट ने जबरन उनकी विवादित भूमि से बेदखलन करने की धमकी दी। तब उन्हें नामातंरण निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 19.11.2014 को नकल हेतु आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.09.08 10:22:23 IST
Reason: SelfAttested

किया। दिनांक 28.11.2014 को नकल प्राप्त की और सीधे ही जल्दी से अपील प्रस्तुत कर दी। देरी को क्षमा किया जायें।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कहा है कि उनके द्वारा खरीदी हुई खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया है तथा रेस्पोडेंट उन्हें भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपील निर्णय तक रेस्पोडेंट को पाबंद किया जायें कि वे उन्हें बेदखल न करें। मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहें। राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहें। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार उन्हें कुछ दिन पूर्व रेस्पोडेंट ने जबरन बेदखल करने की धमकी दी। तब तक उसे अपीलाधीन नामातंरण या निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 06.02.2015 को अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि चूंकि सिवायचक भूमि है। अतः अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनना पाया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया जाता है।

विवादित नामातंरण 1093 तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.05.1991 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामातंरण के द्वारा बद्री पुत्र मुरली व मुस्तरमा तिजा बेवा मुरली गुर्जर तथा छितर पुत्र नाथू जाति गुर्जर की खाता संख्या 561 तथा खाता संख्या 204 की भूमियों को उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या 95/90 सरकार बनाम मुरली दिनांक 19.09.90 के क्रम में सिवायचक दर्ज किया था। अपीलांट पक्ष द्वारा दिनांक 28.06.1984 को मुरली पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर से भूमि उनके पूर्वज छितर पुत्र नाथु जाति गुर्जर द्वारा खरीद करना पाया जाता है। उनके द्वारा मुरली से खसरा नम्बर 2369/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि खरीदी गयी थी। अपीलांट द्वारा संबंधित प्रकरण 95/90 से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय प्रकरण 95/90 के अनुसरण में विवादित नामातंरण 1093 ग्राम पीपलूं खोला गया था। अपीलांट को निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। यदि उसके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत भी की गई हो तो उसके बारे में पत्रावली पर नहीं बताया गया है। अपीलांट क्लीन हैंड से न्यायालय में प्रस्तुत नही हुआ है। बिना प्रकरण संख्या 95/90 पत्रावली को देखे यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार बनाया गया था अथवा नहीं। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। जो कि मेण्डेटरी प्रावधान है। यदि उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया हो तो उसे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना ही चाहिए था। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे बाबत उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपील मीमो में अपीलांट द्वारा नामातंरण और निर्णय दोनो को शून्य होना बताया है। जबकि नामातंरण की अपील एवं निर्णय की अपील पृथक–पृथक होती होती है। अपील में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है तथा अपील में उपयुक्त दस्तावेजों का अभाव है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:23 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामातंरण संख्या 1093 ग्राम पीपलू दिनांक 14.05.1991 तहसीलदार टोंक को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:23 IST
Reason: SelfAttested